

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-07-2025

कान्ता देवी पुत्री वीर सिंह, निवासी महाल गांव व डाकघर परौर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-7प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया कान्ता देवी पुत्री वीर सिंह, निवासी महाल गांव व डाकघर परौर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 05-05-1964 को गांव व डाकघर परौर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया कान्ता देवी पुत्री वीर सिंह की जन्म तिथि 05-05-1964 ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 05/M/2025

तारीख पेशी : 24-07-2025

कलां देवी पुत्री हीरा, वासी गांव सौली, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी वन्शी राम, गांव दरसाल, जिला हमीरपुर, हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय:- प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया कलां देवी पुत्री हीरा, वासी गांव सौली, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी वन्शी राम, गांव दरसाल, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1940 को गांव सौली में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अदालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1940 को ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14/नाम दुरुस्ती/2025

तारीख पेशी : 11-08-2025

श्रीमती सन्जना पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी गांव, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रार्थिया श्रीमती सन्जना पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी गांव, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण-पत्र में कमल किशोर पुत्र मंगत राम दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड खाता 40 खतौनी 44 कित्ता 1, महाल व तहसील फतेहपुर में प्रार्थिया के पिता का नाम कमल कुमार दर्ज है, कमल किशोर व कमल कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पिता का नाम कमल कुमार उर्फ कमल किशोर दर्ज किया जाए इस आशय की पुष्टि में प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र के साथ अपने पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा हर आम व खास को श्रीमती सन्जना पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी गांव, डाकघर व तहसील फतेहपुर के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के आवेदन की प्रति कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह अदालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थिया के पिता के

नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 16 / नाम दुरुस्ती / 2025

तारीख पेशी : 11-08-2025

श्रीमती प्रियंका पुत्री रोशन, निवासी महाल छव्वड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रार्थिया श्रीमती प्रियंका पुत्री रोशन, निवासी महाल छव्वड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कार्ड में प्रियंका पुत्री रोशन दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड महाल छव्वड़, तहसील फतेहपुर का नाम कान्ता देवी दर्ज है। प्रियंका व कान्ता देवी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम कान्ता देवी उर्फ प्रियंका दर्ज किया जाए। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थिया ने प्रार्थना—पत्र के साथ जमाबन्दी महाल छव्वड़ 2022—23, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा हर आम व खास को श्रीमती प्रियंका पुत्री रोशन, निवासी महाल छव्वड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती शारदा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी महाल छब्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि०प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रार्थिया श्रीमती शारदा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी महाल छब्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कार्ड में शारदा देवी पुत्री रोशन लाल दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड महाल छब्ड़, तहसील फतेहपुर का नाम शाखा देवी दर्ज है। शारदा देवी व शाखा देवी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम शाखा देवी उर्फ शारदा दर्ज किया जाए। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थिया ने प्रार्थना—पत्र के साथ जमाबन्दी महाल छब्ड़ 2017-18, आधार कार्ड, स्कूल त्याग प्रमाण, पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा हर आम व खास को श्रीमती शारदा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी महाल छब्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मु० नं० : 57 / तह० / 2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-07-2025

राज कुमारी पुत्री लुडिया राम, गांव दसलू, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

राज कुमारी पुत्री लुडिया राम, गांव दसलू, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म

दिनांक 10-05-1964 को गांव दंसलू, डाकघर लम्बागांव, ग्राम पंचायत लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत लम्बागांव के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत लम्बागांव को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त राज कुमारी पुत्री कौशल्या देवी पत्नी श्री लुडिया राम, गांव दंसलू, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 10-05-1964 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव लम्बागांव को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 53 / तह0 / 2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-07-2025

सिमरां देवी पुत्री स्व0 श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— इशतहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

सिमरां देवी पुत्री स्व0 श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 18-06-1952 को गांव व डाकघर हारसी, ग्राम पंचायत हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हारसी के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत हारसी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सिमरां देवी पुत्री ब्रहमी देवी पत्नी स्व0 श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-06-1952 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है

अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव हारसी को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 59/तह0/2025

किस्म मुकदमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 18-08-2025

कुशमा देवी पुत्री स्व0 श्री रतों राम, गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—इशतहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

कुशमा देवी पुत्री स्व0 श्री रतों राम, गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 10-05-1973 को गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, ग्राम पंचायत मझेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत मझेड़ा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मझेड़ा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कुशला देवी पुत्री विमला देवी पत्नी स्व0 श्री रतों राम, गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-05-1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी को किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव मझेड़ा को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।